Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **दौसा में पटवारी 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *22 जून।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर दौसा इकाई द्वारा आज मंगलवार को कार्यवाही करते हुये विक्रम सिंह राठौड़ पटवारी, पटवार हल्का पट्टी किसोरपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा को परिवादी से 25 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की दौसा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि ग्राम बिनोरी स्थित उसकी कब्जाशुदा गैरमुमकिन जमीन पर सरकारी भवनों के निर्माण को अन्यत्र करवाने तथा उस जमीन को परिवादी के नाम चढ़ाने की एवज में विक्रम सिंह राठौड़ पटवारी, पटवार हल्का पट्टी किसोरपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा द्वारा 1 लाख 30 रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी दौसा इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री कप्तान सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये विक्रम सिंह राठौड़ पुत्र श्री कान सिंह राठौड़ निवासी अमरनाथ कॉलोनी, श्याम मंदिर के पीछे, नई मण्डी रोड़, दौसा हाल पटवारी, पटवार हल्का पट्टी किसोरपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा को परिवादी से **25 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।